

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 32/2015-2020

दिनांक: 13 सितम्बर, 2019

विषय: उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए) इंदौर, मध्यप्रदेश को परिशिष्ट 2ड. के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में।


विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए) को प्राधिकृत करते हैं:

मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए),
622, सुदामा नगर
नरेन्द्र तिवारी मार्ग
इंदौर, मध्यप्रदेश
मो. न. 8349662662, 9827592095

2. तदनुसार, विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम संख्या 06 (इंदौर) मध्य प्रदेश में उपर्युक्त एजेंसी के नाम को शामिल किया जाता है।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

मैसर्स एक्सपो ओवरसीज आन्ट्रप्रनर एसोसिएशन (ईओईए) इंदौर, मध्य प्रदेश को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्ट 2ड. के तहत शामिल किया गया है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in